

फर्द अहकाम
(नियम-26)

अज् अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

प्राथीगण

रामचन्द्र


बनाम

अप्रार्थीगण

नारायण प्रसाद वगैरहा

सम प्रकरण : राजस्व प्रार्थना पत्र

मुकदमा नं. 69 / 2016

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशिल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तागील में जारी हुये।
07.2016	<p>यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत वकील श्री रामनारायण चौधरी ने पेश किया गया। बहस वकील प्रार्थी की एक पक्षीय सुनी गई। बहस वकील प्रार्थी व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन व मनन किया गया। जिससे मामला प्रथम दृष्टया, प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने पर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की जारी की जाती है आगामी आदेश तक मौजा जायल के खसरा नं. 124, 125, 133, 134, 3338/606 व मौजा बोडिन्दखुर्द के ख.न. 283 के राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। प्रार्थी के हिस्से के खेत ख.न 124 व 125 में अप्रार्थीगण क किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करे तथा उपरोक्त सभी खेताय मे से किसी भू भाग का हस्तान्तरण/बेचान/वसियत या बक्सीस नहीं करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे पक्षकरो को सम्मन जरिये रजिस्टर ऐडी भिजवाये। पत्रावली दिनांक 19.08.2016 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  सहायक कलक्टर (एच. डी. पो.) जायल (नागौर) </p> <p>19/8/16 - वकील प्रार्थी उप। अपार्थी से 1 के र की अंत ले वकील श्री इरायण सिंह ने मूल नद के वकील काफ़ा पैर, फिदा तथा अपार्थी ले 3 के र की अंत ले जवाब पैर फिदा। अपार्थी रु. 2, 7, 8 के तलब नद नामील उपलब्ध है जो गैरहकि है उके दखिल कारवाही अदालत के लम्बी जमी है पत्रावली करते जवाब अपार्थी रु. 1 व 2 हेतु दिनांक 14/9/16 को पेश की</p>	<p>21/8/16</p>



फर्द अहकाम

(नियम-26)

नम्बर
अहकाम
हुकम
में

अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

बनाम्

मुकदमा नं.-

रण :


/

हुकम या कार्यवाही इनिशिलस जज

नम्बर व तारिख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुये।

4/10/2022 - वकुलाय डण्डा पश्चिम में
जब राजीनामा हो जाने से प्रार्थना-
पत्र को चलाया नहीं पावे ही अदा-
प्रार्थना पत्र अधीन धारण 22 रत अक्ष
की स्थापित किया गया है वही अदिकार
दिनांक 6/7/2016 को जारी अन्तरिम अध्यादेश
व्यक्ति अपात किया गया है जितना
गया से 25 तक वास आया कार्यवाही
दाखिल गया रहे

M
A


सहायक
(एस.डी.ओ.) जायल